न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–232 / 2022
GCMS NO:- 2022/417

दायर दिनांक: 27.09.2022
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. सुरेन्द्र आ0 कालूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ।
2. श्रीफूल आ0 कालूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ।
3. खुशीराम आ0 कालूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ।
4. निर्मला पुत्री कालूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा हाल पत्नी मनीष जाति मीणा नि0 झालरा तहसील व जिला टोंक।
5. मंजू बाई बैवा पत्नी कालूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण–

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोतीपुरा तहसील नैनवॉ की जमागन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 117 व पुराना 115 मे खसरा संख्या 706 रकबा 0.7200 हैक्टयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मोतीपुरा तहसील नैनवॉ की जमागन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 116 व पुराना 114 मे खसरा संख्या 683 रकबा 0.5016 हैक्टयर, खसरा संख्या 683/1061 रकबा 0.3317 हैक्टयर, खसरा संख्या 686 रकबा 0.2427 हैक्टयर, खसरा संख्या 692 रकबा 1.0922 हैक्टयर, खसरा संख्या 696 रकबा 1.6585 हैक्टयर, खसरा संख्या 701 रकबा 0.2670 हैक्टयर, खसरा संख्या 784 रकबा 0.1214 हैक्टयर, खसरा संख्या 843/1071 रकबा 0.0243 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 4.2394 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मोतीपुरा तहसील नैनवॉ की जमागन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 123 व पुराना 120 मे खसरा संख्या 688 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 689 रकबा 0.2751 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3803 हैक्टयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मोतीपुरा तहसील नैनवॉ की जमागन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 115 व पुराना 112 मे खसरा संख्या 828 रकबा 0.0405 हैक्टयर स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही खेती काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता कालूलाल आ0 मोडूलाल मीणा नि0 मोतीपुरा का स्वर्गवास दिनांक 02.02.2020 को हो चुका है।

यह कि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम कालूलाल मीणा आ0 मोडूलाल जाति मीणा नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी है तथा प्रार्थीगण के पिता के आधार कार्ड व फोटों पहचान पत्र मे भी प्रार्थीगण के पिता का नाम कालूलाल मीणा आ0 मोडूलाल मीणा ही अंकित है लेकिन संह्वन से टंकण त्रुटी के कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकिशन आ. मोडूलाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम कालूलाल आ0 मोडूलाल जाति मीणा नि. मोतीपुरा है तथा रामकिशन आ0 मोडूलाल जाति मीणा नि. मोतीपुरा के नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव मे नही है तथा मोडूलाल जी के भी रामकिशन नाम का कोई पुत्र (संतान) नही थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के पिता कालूलाल के स्थान पर रामकिशन लिखा हुआ होने से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 लगायत 4 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण नही खुल रहा है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के पिता का नाम कालूलाल के स्थान पर रामकिशन लिखा होने से प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमियों मे अपने पिता का नाम रामकिशन आ0 मोडूलाल के स्थान पर संशोधित करवाकर कालूलाल आतमज मोडूलाल करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 06.05.2025 से प्राप्त हो चुकी है

हमने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमि खाता संख्या 115, 116, 117 व 123 मे दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकिशन आत्मज मोडूलाल के स्थान पर कालूलाल आत्मज मोडूलाल दर्ज किया जावे।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया तथा पाया कि:—

- प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया हुआ है कि प्रार्थीगण के पिता का सभी दस्तावेजों मे नाम कालूलाल आ0 मोडूलाल दर्ज है जबकि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज के विवरण दस्तावेज के पोईन्ट संख्या 19 मे रामकिशन का मतदाता पहचान पत्र भी लगाया है जिससे उनका यह कथन कि प्रार्थीगण के पिता का सभी दस्तावेजों मे नाम कालूलाल आ0 मोडूलाल ही दर्ज है, गलत पाया गया।
- साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 9 मे मे यह अंकित किया हुआ है कि ग्राम मोतीपुरा मे रामकिशन आ0 मोडूलाल जाति मीणा के नाम को कोई अन्य व्यक्ति नही है जबकि उनके स्वयं के द्वारा फर्द दस्तावेजों मे रामकिशन आ0 मोडूलाल नि0 मोतीपुरा का मतदाता पहचान पत्र लगाया हुआ है।
- इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 द्वारा नायब तहसीलदार उप तहसील देई कार्यालय मे प्रस्तुत फोती नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमे पाया कि प्रार्थी स्वयं के द्वारा फोती नामान्तरकरण के प्रार्थना पत्र व सजरा मे उनके पिता का नाम कालू उर्फ रामकिशन लिखा हुआ है जबकि इस कार्यालय मे प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 7 मे यह अंकित किया हुआ है कि मोडूलाल जी के रामकिशन नाम की कोई संतान ही नही है।

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजो अथवा प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत फोती नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र के अवलोकन अथवा उक्त समस्त दस्तावेजों मे पाये गए विरोधाभास के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक :— 29.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां